राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक 2025

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राजस्थान [मंत्रिमंडल] ने राज्य के कोचिंग संस्थानों को विनियमित करने और विद्यार्थियों को सुरक्षित एवं उनके अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिये '**राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक-2025** को मंज़ूरी दी।

मुख्य बिंदु

- यह विधेयक **राज्य सरकार के नियंत्रण में आने वाले सभी सरकारी विभागों, स्वायत्त निकायों और संस्थानों** पर लागू होगा।
- राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक-2025 के तहत सभी कोचिंग संस्थानों के लिये **पंजीकरण अनिवार्य** कर दिया गया है। विशेष रूप से, **50 या अधिक छात्रों वाले कोचिंग संस्थान कानूनी** जाँच के दायरे में आएंगे। इसके अलावा, नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिये एक **विशेष नियामक प्राधिकरण गठित** किया जाएगा।
- **विधेयक का उद्देश्य:**
  - **इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य छात्रों के अधिकारों की रक्षा करना और उनके मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाना है।**
  - यह कोचिंग संस्थानों में [पारदर्शिता और उत्तरदायित्व] सुनिश्चित करने के साथ-साथ छात्रों के लिये सुरक्षित और सहयोगी वातावरण प्रदान करने पर केंद्रित है।
- **पारदर्शिता और निगरानी:**
  - कोचिंग संस्थानों की पारदर्शिता और निगरानी के लिये **राज्य स्तरीय पोर्टल और 24x7 हेल्पलाइन** की स्थापना की जाएगी, जिससे छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य सहायता और अन्य सेवाएँ उपलब्ध कराई जा सकेंगी।
- **दंड और अनुपालन:**
  - नियमों के उल्लंघन पर सख्त दंड का प्रावधान किया गया है, जिसमें **पहले अपराध पर ₹2 लाख, दूसरे अपराध पर ₹5 लाख का जुर्माना और बार-बार उल्लंघन करने पर पंजीकरण रद्द करने का दंड शामिल है।**

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/rajasthan-coaching-center-control-and-regulation-bill-2025